समाहरणालय, कटिहार

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
:- 06452-230581(O)
06452-230583(R)
:- +91-9473191375
फैक्स :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

गोपनीय प्रशाखा

–:: आ दे श ::–

गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM–1(A), दिनांक 01.05.2020 द्वारा COVID-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के दौरान कतिपय आवश्यक सेवाओं के संचालन में छूट प्रदान करने से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। अनुमान्य गतिविधियाँ के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 303/अ०मु०स०को०, दिनांक 06.05.2020 के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1209/सी० दिनांक 07.05.2020 के द्वारा दुकानों/प्रतिष्ठानों को समुचित शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति दी गयी है। पूर्व के आदेश के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 304/अ०मु०स०को०, दिनांक 10.05.2020 के आलोक में ऑटोमोबाईल की बिक्री के शो–रूम मरम्मति के प्रतिष्ठान दोनों ही खोलने के संबध में निम्न निदेश निर्गत किये जाते हैं–

क्र०	शो–रूम/मरम्मति के प्रतिष्ठान का प्रकार	शो–रूम/ मरम्मति के प्रतिष्ठानों के खुले रहने का निर्धारित समय
1	2	3
1.	ऑटोमोबाईल्स (चारपहिया, दोपहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की बिक्री के शो–रूम एवं मरम्मति के प्रतिष्ठान	(10:00 बजे पूर्वा० से 06:00 बजे अप० तक)

उपरोक्त प्रतिष्ठानों/शो–रूम के संचालकों द्वारा निम्न निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा:–

- शो–रूम एवं प्रतिष्ठान के कामगारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- शो–रूम एवं प्रतिष्ठान के संचालक काउण्टर पर साबुन/सेनेटाईजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे।
- बिक्री काउण्टर पर Social Distancing मानकों (एक मीटर की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे। Social Distancing का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित शो–रूम/प्रतिष्ठान को तुरन्त बन्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
- प्रत्येक संचालक अपने स्तर से शो–रूम एवं मरम्मति के प्रतिष्ठान काउण्टर एवं उपयोग में आने वाली सामग्रियों को सेनिटाईज करने की व्यवस्था रखेंगे।
- सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउण्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
- शो–रूम/प्रतिष्ठान के संचालक 50 प्रतिशत कामगारों से ही कार्य लेंगे।
- Containment Zone में शो–रूम/मरम्मति के प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति नहीं होगी।

अपर मुख्य, सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–304/अ०मु०स०को०, दिनांक 10.05.2020 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ०पी० अध्यक्ष, कटिहार जिला को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 में निहित्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

1236/सी०
10.5.2020

जिला पदाधिकारी,
कटिहार। 10/5

ज्ञापांक 1236 **/सी०,** कटिहार **दिनांक** 10 / 5 **/2020 ई०।**

प्रतिलिपिः— आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।

प्रतिलिपिः— पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सिविल सर्जन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार/मनिहारी/बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थानाध्यक्ष/ओ०पी० अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ तथा ई—मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु प्रेषित।

10/5

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।